(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1064/दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.04.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर निगरानी प्रकरण क्रमांक 121/2003-04.

---

1. समन्दरसिंह पिता पद्मसिंह
   निवासी ग्राम बरोदासिन्द
   तह. महू, जिला इंदौर
2. इन्दरसिंह पिता पद्मसिंह,
   निवासी ग्राम बरोदासिन्द
   तह. महू, जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुमनबाई बेवा चंद्रसेन लाभांते
2. विजय कुमार पिता चन्द्रसेन लाभांते
3. उर्मिला पिता चन्द्रसेन लाभांते
4. माया पिता चंद्रसेन लाभांते .....अनावेदकगण

श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 27.04.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बड़ोदासिन्द तहसील महू के सर्वे क्र. 159, 160, 162, 163 की कृषि भूमियां कुल रकबा 7.360 हैक्टेयर गोविन्दराव के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित थी। उक्त भूमि आवेदकगण को अंतरित होने से अनावेदक द्वारा एक शिकायती आवेदन कलेक्टर, जिला इंदौर को प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन पत्र की जांच की

जाकर अतिरिक्त तहसीलदार, महू द्वारा पूर्व में नायब तहसीलदार के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 7/अ-6/76-77 में पारित आदेश दिनांक 14.12.1987 के पुनर्विलोकन की अनुमति अपर कलेक्टर, जिला इंदौर से चाही गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.03.2004 से अनुमित प्रदान की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा एक निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.04.2005 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पुनर्विलोकन करने का आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को कोई भी सूचना पत्र निर्वाहित नहीं किया और ना ही आवेदकगण को सुना। संपूर्ण कार्यवाही आवेदक के पीठ पीछे की गई। इस परिस्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश इस न्यायालय द्वारा स्थापित निर्णय की पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व पक्षों को सुनना आवश्यक है, के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्ती के पात्र होते हुए भी उक्त आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(2) प्रश्नाधीन विवाद दो प्रायवेट पक्षों के मध्य का है। ऐसी स्थिति में उक्त विवाद के संबंध में तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.1987 का पुनर्विलोकन केवल आदेश दिनांक से 90 दिन के अंदर किया जा सकता था। इस कारण 90 दिन के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्टया किसी भी स्थिति में स्वीकार होने योग्य न होते हुए भी उक्त आदेश का पुनर्विलोकन करने की अनुमति देने में अपर कलेक्टर ने दी है तथा उक्त आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(3) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के एकांकी स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। इस बाबद व्यवहार न्यायालय से निर्णय पारित किया जा चुका है तथा उक्त व्यवहार न्यायालय के निर्णय के आधार पर एवं अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में निगरानी प्रकरण क्र. 179/84-85 में दिनांक 04.12.1986 को पारित आदेश के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.1987 को जो आदेश पारित किया है, उसका पुनर्विलोकन करने का प्रश्न ही उत्पन्न होता नहीं है, फिर भी अपर कलेक्टर ने अपने परिवार क्षेत्र से परे जाते हुए

आदेश दिनांक 14.12.1987 1987के 13 वर्ष पश्चात् प्रायवेट पक्षों के मध्य निराकृत नामांतरण आदेश का पुनर्विलोकन करने बाबद जो आदेश पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया अवैध एवं अधिकार बाह्य होने से निरस्ती के पात्र होते हुए भी उक्त आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(4) अपर कलेक्टर ने संहिता की धारा 51 के प्रावधानों को न देखते हुए सिविल न्यायालय के निर्णयों के आधार पर प्रकरण में पुन: कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय को निर्देशित किया है, किंतु सिविल न्यायालय का आदेश उभय पक्षों में अंतिम हो चुका है। इस कारण अब प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 14.12.1987 के संबंध में करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत प्रकरण में पुन: उक्त आदेश का पुनर्विलोकन करने की अनुमति देने बावत अपर कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है, उसे यथावत रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को अंतरित होने से अनावेदक द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच की जाकर अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पूर्व में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14.12.1987 के पुनर्विलोकन की अनुमति अपर कलेक्टर, जिला इंदौर से चाही गई। अपर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्रदान करने पर अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध एक निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि निरस्त की गई। इस प्रकार अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह पुनर्विलोकन की अनुमति पर दूसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की अनुमति पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्व आदेशों में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा इस पुनर्विलोकन की अनुमति पर अधीनस्थ न्यायालयों के पूर्व समवर्ती निष्कर्षों को इस न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय निगरानी में परिवर्तित करने के पर्याप्त आधार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। चूंकि प्रकरण का अभी गुण-दोष पर निराकरण होना है। अत: उभय पक्ष को अपने-अपने तर्क रखने का अवसर अभी उपलब्ध हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2005 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर